

कार्यालय – सिविल जज जू0डि0 जालौन, जनपद जालौन

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) जालौन जनपद जालौन के प्रॉगण में स्थित कैन्टीन के आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 12-04-2019 से 31-03-2020 तक) की अवधि के लिये ठेके पर उठाने हेतु नीलामी दिनांक 12-04-19 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) जालौन के प्रॉगण में होगी। इच्छुक व्यक्ति ठेके की बोली लगाकर लाभ उठाये। धरोहर धनराशि कैन्टीन के लिये मु0 5000 रू0 प्रत्येक बोलीकर्ता से बोली बोलने से पूर्व अमीन द्वितीय सिविल कोर्ट उरई के पास उसी दिन जमा करनी होगी। अंतिम बोली बोलने वाले व्यक्ति की धरोहर धनराशि मु0- 5000 रू0 जमा रहेगी, शेष बोलीकर्ताओ की धरोहर धनराशि नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद वापस कर दी जायेगी।

नीलामी समाप्त होने पर अंतिम बोली बोलने वाले व्यक्ति को सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। ठेके के बाबत निर्धारित स्टाम्प पर इकरार नामा सात दिन के अन्दर निष्पादित करना होगा।


1-बोली बोलने वाला व्यक्ति बकायादार एवं काली सूची के अन्तर्गत न आता हो।

2-बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला जज जालौन स्थान उरई को सुरक्षित रहेगा।

3-बोली बोलने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न पंजीकृत हुआ हो और न ही लंबित हो, इस तथ्य का शपथपत्र बोलीकर्ता को बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त नीलामी की सूचना जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई की बेबसाइट [ecourt.gov.in/jalaun](http://ecourt.gov.in/jalaun) पर भी उपलब्ध है।

दिनांक 06.04.2019

  
06/04/19  
सिविल जज (जू0डि0) जालौन

जनपद जालौन

प्रतिलिपि सेवा में,

1-कार्यालय उपजिलाधिकारी जालौन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

2-अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जालौन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

3- अमीन द्वितीय सिविल कोर्ट को तुरन्त मुनादी एवं विस्तृत प्रचार एवं प्रसार कराने हेतु।

4-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप उरई को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

5-प्रभारी अधिकारी नजारत जजशिप जालौन स्थान उरई को सूचनार्थ।

6-जिला सूचना अधिकारी जालौन स्थान उरई को निःशुल्क प्रचार प्रसार करवाने हेतु

7-दैनिक कर्मयुग प्रकाश को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

8- जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई की बेबसाइट [ecourt.gov.in/jalaun](http://ecourt.gov.in/jalaun) पर डालने हेतु।